



सूचना का अधिकार

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ 3 (1) 2015 / सू.अ. / प्रमुवसं / लो.सू.अ. / दिनांक:-

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय का पत्र समसंख्यक 1447-1567 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर के स्थान पर मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन), राजस्थान, जयपुर को लोक सूचना अधिकारी का भी कार्य करने के आदेश का आंशिक संशोधन प्रचलित किये जाते हैं।

(सी.एस.रत्नासामी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ 3 (1) 2015 / सू.अ. / प्रमुवसं / लो.सू.अ. / 569 - 83 दिनांक:- 24.08.2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / विकास राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।
6. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अरण्य भवन, जयपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर प्रदर्शित करावें।
7. समस्त उप वन संरक्षकगण।
8. नोटिस बोर्ड।

(चतुर्भुज गुप्ता)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
उप वन संरक्षक (आर.टी.आई.)
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।